

approval of National Co. Ltd. (Acq. and Transfer of Undertakings) Ordinance, and National Co. Ltd. (Acq. and Transfer of Undertakings) Bill

[Shri Pranab Mukherjee]

The second question is in regard to compensation. Even if you have any doubt, I am prepared to give you an assurance, of course for those who are on the roll on the day of nationalisation. I cannot give that commitment for all the time in the past. (*Interruptions*) for all the time in the past. (*Interruptions*). In regard to the mode of compensation, can there be any piece of legislation without compensation? It will immediately be struck down by the Supreme Court. We will have to do it and it is on the normal average pattern of nationalisation Bill.

In regard to the point made by Prof. Ranga, Sir, in fact it is the monopoly purchases of a particular group and as I had explained on earlier occasions and while replying to the debate, the Jute Corporation of India is not in a position. They do not have the infrastructure and other facilities which are necessary for it. But on one point I can assure him and that is that as I had already mentioned, I am reiterating, that we shall have to see to what extent they are in a position. Even the last two years stock is there. And we are to provide them a subsidy of Rs. 13 crores and immediately when the question will come, a large number of Members will say: 'How are you running a public sector unit for which you are to provide Rs. 13 crores as subsidy, simply be-

15.00 hrs.

cause they could not dispose of the raw jute which they purchased. All these problems are there. This is not the time or the occasion to discuss them. Only one thing I can say. We shall have to see in what manner we can help the growers so that prices do not crash.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill as amended be passed."

The motion was adopted.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Though the discussion is over, I may point out to the hon. Minister that he was using the word "compensation". After the Constitution (Amendment) Bill, if you use the word "compensation", it will mean the just equivalent of the property acquired, i.e., the market value. Therefore, it should have been "amount".

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I stand corrected. I am grateful to him for pointing out the legal implications of the word.

15.01 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

—Contd.

REPORTED CLOSURE OF A NUMBER OF INDUSTRIAL UNITS IN DHANBAD COAL FIELDS AREA.—Contd.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आगरा): सभापति महोदय, ये अचिंतनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें:

"धनबाद कोयला खान क्षेत्र में बहुत सी औद्योगिक इकाइयों के बन्द हो जाने जिनके कारण लगभग 10,000 कर्मकार बेरोजगार हो गये हैं के समाचार समाचार।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): Government attaches highest importance to labour not only because...

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा: सभापति महोदय, ये ध्यानाकर्षण हिन्दी में दिया है और मंत्री महोदय हिन्दी अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री चरणजीत चानना: सरकार श्रम को केवल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण ही नहीं अपितु वह उसके मानवीय पक्ष और श्रमिकों व उनके परिवार के कल्याण को ध्यान में रखकर इसे अत्यधिक महत्व देती है।

MR. CHAIRMAN: Are you finding it difficult?

SHRI CHARANJIT CHANANA: It is not clear. I can read in English.

MR. CHAIRMAN: I am allowing the hon. Minister to read the state-

ment in English. Translation arrangement is available.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): Government attaches highest importance to labour not only because it is a crucial factor of production but also because of the human factor and the welfare of workers and their families. The Prime Minister in her discussion with Trade Union Leaders has clearly stated Government's positive position regarding the role of labour.

The Ministry of Industry has not received any written report from the State Government of Bihar regarding the closure of 45 industrial units in the coal fields area of Dhanbad leading to unemployment of more than 10,000 workers.

However, information made available on the phone by Bihar Government indicates that some 16 units involving about 7000 workers have been under closure. But in respect of two of these namely, Valley Refractories and Mason Ceramics involving about 2000 workers agreement for restarting the factories has already been reached. Additional details in regard to the causes of closure, the problems faced by the units and action taken by the State Government are still awaited.

Apart from this, in June 1979 the Government of Bihar had forwarded information regarding the closure of about 136 units in that area involving total employment of about 2400 or so. Majority of these units were very small in term of employment, the largest unit of these having employment of 700 workers. The Bihar Government has taken up the question of reviving some of these units and a Special Committee of the State Government is going into this matter in detail.

श्री चन्द्र बक्ष प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, अभी उद्योग राज्य मंत्री जी ने बताया कि सरकार श्रम को केवल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण ही नहीं, अपितु वह उस के मानवीय पक्ष और श्रमिकों व उन के परिवार के कल्याण को ध्यान में रख कर इसे अत्यधिक महत्व देती है। ये सारे के सारे काम विपरीत दिशा में चले जा रहे हैं, न इस से श्रमिकों का कल्याण हो रहा है और न उत्पादन ही बढ़ रहा है।

पुनः उन्होंने कहा है कि उद्योग मंत्रालय को बिहार राज्य सरकार से धनबाद के कोयला फील्ड क्षेत्र में 45 औद्योगिक एकक बन्द हो जाने के फलस्वरूप 10 हजार से अधिक कर्मचारियों के बेरोजगार होने के सम्बन्ध में कोई लिखित सूचना नहीं है, लेकिन ये आशिक रूप में क्या मानते हैं

सभापति महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : मैं उसी पर आ रहा हूँ। उसी की भूमिका पर बोल रहा हूँ, उस के बगैर सवाल बनता नहीं है।

मैं यह कह रहा हूँ कि 16 इकाई जिन में लगभग 7 हजार कर्मचारी कार्य कर रहे थे, बन्द हो गए हैं। यानी इस का मतलब यह कि आशिक रूप से इसे सरकार मानती है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि श्रमिक विवादों के चलते और इस विवाद के चलते लाखों एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग बन्द हुए हैं और लगभग एक करोड़ ६० की क्षति हुई है।

(ख) क्या बन्द होने वाली सब से बड़ी औद्योगिक इकाई—बुमार धूली इंजीनियरिंग वर्क्स, जहाँ 3 हजार से भी अधिक व्यक्ति काम करते थे। क्या इन कारखाने के बन्द होने का मुख्य कारण श्रमिकों का केवल वेतन-भुगतान न होना था या इस के बन्द होने से सरकारी ऋण की लगभग 18 करोड़ रुपये की श्रदायगी रकम गई और इस के अतिरिक्त 1 करोड़ रुपये विपत्ती बिल तथा 37 लाख रुपये बिक्री कर पर सरकार का बकाया है ?

सभापति महोदय : इस में आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं ?

श्री चन्द्र बक्ष प्रसाद वर्मा : मैं (क), (ख), (ग) के रूप में पूछ रहा हूँ।

श्री रामानन्दार शास्त्री (पटना) : ऐसा बराबर होता रहा है। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।

सभापति महोदय : आप जब उत्तर चाहते हैं तो ऐसा प्रश्न पूछिये जिस पर डिस्कशन होता है।

श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा : (घ) बिहार सरकार ने इस क्षेत्र की लगभग 136 इकाइयाँ बन्द होने के बारे में जून, 1979 में सूचना दी थी। क्या ये इकाइयाँ भी इसी में शामिल हैं अथवा नहीं? विशेष समिति से जांच करा कर क्या भारत सरकार तत्काल मजदूरों को राहत देने देगी और शीघ्र अत्यधिक उत्पादन करेगी?

SHRI CHARANJIT CHANANA: As regards the hon. Member's question relating to an individual unit, Kumar Dhuli Engineering Works, where he says the number of workers are 3000 and he has informed the House about the loss accruing to the extent of Rs. 1 crore, I do not know the basis of his calculations. My information says that the number of workers employed in this unit is 2400.

About this particular thing, first of all, the hon. Member is presuming only one cause for the closure of these units. I will not be able to challenge that particular thing. I would only say that labour unrest or denial of the rights of labour can be one of the important causes. But, as I have submitted in my statement also, without getting the detailed information which is being collected, I shall not be able to tell you the reason for the closure of these 16 units. I have already submitted that we are getting details about them and then only I will be able to tell you the causes for the closure of these units.

Then, the hon. Member talked of the June, 1979 statement, whereby he talked about the close of 136 units. In fact, about these particular 16 units, I have not been able to compare with 136 units—these 16 units might be a part of them or might not be a part of them. I have asked for details about all these units also from them. It will be only after all those details are with me that I shall be able to reply to my hon. friend's question in detail about these units.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): I have got a point of order, Sir. It arises from the fact that whenever we give a Calling Attention notice, the entire House expects that the Minister will come out with all the detailed information and that he is equipped with all the information. But if the Minister comes and says that he has not got full information, only some telephonic information from Patna, then, I feel that in such a case, the Calling Attention notice should be postponed and the Minister should be allowed to get all the information to enlighten us about the matter. In every alternate sentence, he is telling us that he does not have the details. He cannot tell us like that.

MR. CHAIRMAN: Rule 197 says that a question can be asked. The hon. Member has asked so many questions. Simply by saying (a), (b), (c) and (d), all those questions do not become one question.

Secondly, a Calling Attention notice does not involve a full-fledged discussion of the topic. When you are going to discuss the Demands for Grants relating to the Ministry of Industry and the Ministry of Labour in the House, it would not have been necessary to discuss all those things here.

So, my ruling is that a Calling Attention notice does not mean a full-fledged discussion. You have to ask a pointed question and get a pointed answer. If it is not within the ambit of the Calling Attention notice itself, the hon. Minister can very well say that he is not having the information and the information cannot be given to the House. If the hon. Member wants, he can meet the Minister and get information outside. He can get the information in any other form.

SHRI A. K. ROY: I am not questioning the worth or merit of your ruling but, as I have said, this House also cannot expect that in every alternate sentence the Minister should say 'I am not in a position to furnish the details'.

MR. CHAIRMAN: That is not a point of order. You are wanting the Minister to reply in your own fashion. . .

SHRI A. K. ROY: It is no fashion. . .

MR. CHAIRMAN: My ruling is that it is not a point of order.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी बिहार खनिज सम्पदा का भंडार है। यह अफसोस की बात है कि वहां दिसम्बर महीने से इतने मजदूर बेकार हैं। जिन में वे मजदूर बेकार हैं उन में से कई कारखानों के नाम अखबारों में छप चुके हैं जिन में कुमार धुबो इंजीनियरिंग वर्क्स भी है। उस के तीन हजार मजदूर बेकार हैं। अरिया फायर ब्रिक के पांच सौ, जामडीह इंजीनियरिंग वर्क्स के पांच सौ, मैथन सेरामिग वर्क्स के छ सौ, धारी रिफ़ैक्ट्री के माडे छ सौ और वराकर फ़ैक्ट्री के पांच सौ बेकार हैं। यह रिपोर्ट अखबारों में छपी है लेकिन मंत्री महोदय के पास यह रिपोर्ट नहीं है। इस से भी अफसोस की बात यह है कि बिहार सरकार भी इन्हें रिपोर्ट या खबर नहीं देती।

खैर, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां जो झगडे चल रहे हैं और 45 कारखाने बन्द हैं, मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और रिफ़ैक्ट्रीज, ये दो तरह के कारखाने जो हैं इन के बन्द होने का कारण क्या वहां मजदूरों के लिए वेज बोर्ड नहीं लागू करना है? वहां इन के लिए वेज बोर्ड बने हुए हैं फिर नये वेज बोर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन जो वेज बोर्ड बने हुए हैं उन के फंसले लागू नहीं किये जा रहे हैं। वह इस लिए नहीं किए जा रहे हैं कि मालिक अपने मजदूरों की पूरी सूची नहीं रखते। दस प्रतिशत मजदूरों की सूची रखते हैं बाकी को रजिस्टर पर दिखलाते ही नहीं। यह सारा घपला होता है। जब वहां वेज बोर्ड बना हुआ है तो मैं जानना चाहूंगा कि सरकार अब तक वेज बोर्ड को लागू करवाने में क्यों नाकामयाब रही? लेबर डिपार्टमेंट ने कोशिश की। सुना है कि मंत्री जी को खबर नहीं है।

सभापति महोदय: शास्त्री जी ऐसे नहीं पूछा जा सकता है। माफ करना यह बहुत डिटेल्ड है। इस प्रकार से कालिग अटेंशन में प्रश्न नहीं किया जा सकता। मुझे बड़ा दु:ख है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : तो किस तरह से पूछूं ?

सभापति महोदय : इस तरह से तो पूरा डिस्कशन हो जाता है, पूरी डिबेट हो जाती है।

श्री रामावतार शास्त्री : यह तो एक नयी परिपाटी लागू की जा रही है।

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) : पहली परिपाटी जो चली आ रही है उस के अनुसार 40 मिनट तो देने हैं।

सभापति महोदय : आप बेशक इस के लिए रुस्त चेज कर लीजिए।

श्री राम बिलास पासवान : सवरे बारह से एक बजे तक कालिग अटेंशन चलता है। (व्यवधान)

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): A calling Attention normally takes half an hour, and there are Calling Attention motions which have taken forty five minutes also. This is an accepted convention.

MR. CHAIRMAN: I do not quarrel with that, but there are other important matters also to be attended to (Interruptions).

Then, in that case, you should change the rules.

श्री रामावतार शास्त्री : (व्यवधान) आप के कहने से मैं यहां नहीं आया हूं न आप के कहने से बोलने वाला हूं। आप कृपा कर सुन ले। इस से जल्दी हो जाएगी। अगर आप अर्शाति पैदा कीजिएगा तो इधर से भी अर्शाति होगी। अगर आप लोग बोलने में रुकावट डालते रहे तो हाउस नहीं चलेगा। यह बात साफ तौर पर समझ लीजिए।

बहुत सफाई के साथ समझ लीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : हर चीज नियमों के अनुसार होनी चाहिए। आप नियम जानते हैं तो हम लोग जो बिना नियम जानने वाले आये हैं, उनको भी काम करने दीजिए जिस तरह से आप बोल रहे हैं इसको क्या आप अच्छा समझते हैं —

श्री रामावतार शास्त्री : अच्छा नहीं समझते तक उनको बोलिये। ये नए आए हैं, इनको अभी तजुर्बा नहीं है, माफ करिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा नियमों के अनुसार बोलिये।

[श्री आरिफ मोहम्मद खां]

आप ही नियमों के अनुसार नहीं चलें तो हम आप से क्या सीख पाएंगे ?

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसे लोगों को मैं वरदाशत नहीं कर सकता हूँ जो आप शान्त रक्वावटें डालना शुरू कर देते हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो ही जाए, कोई बात नहीं है।

समापति महोदय : इनको मुझे एड्रेस करने दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : वह कहां एड्रेस कर रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : पहली दफा चुन कर आए हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है और न इसका यह मतलब है कि मुझे कम समय मिलेगा और श्री रामावतार शास्त्री जो कई दफा चुन कर आए हैं तो उनको अधिक समय मिलेगा या वह नियमों के विरुद्ध भी बोलें। नियमों के अनुसार बोले। गैर संसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें। आप रोजाना की प्रोसीडिग्स को उठा कर देखें कि कितना इंटरवेंशन ये करते रहे हैं। कितनी बार श्री प्रणव कुमार मुखर्जी साहब की स्पीच में श्री घोष और श्री रामावतार शास्त्री ने इंटरवेंशन किया है। हम एक बार करते हैं तो ये नाराज हो जाते हैं। इतनी जल्दी इनको नाराज नहीं होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम भी यहां पर बोलने के लिए आए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : बाधा डालने की कोशिश न करें। आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। समापति महोदय से बात करिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ये जो आप धमकियां दे रहे हैं इन धमकियों में कोई नहीं आएगा।

समापति महोदय : आप बोलिये शास्त्री जी और इधर से जाने दीजिए। यही अच्छा होगा। उधर न जाएं....

Please change your angle.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Being a leftist, how can he go like that?

MR. CHAIRMAN: The unparliamentary language or words will not form part of the record.

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूँ कि बेंज बोर्ड का जो फैसला है उसको लागू करवाने के लिए सरकार ने कौन सी कार्रवाई की है ?

क्या वहां की सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन कमेटी बिठाई थी और उसके बाद मालिकों को यह आदेश दिया था कि आप कारखाने खोलिये और मालिकों ने कारखाने खोलने से इन्कार कर दिया था ? इसके बारे में सरकार ने बाद में क्या कार्रवाई की ?

क्या सरकार ने कोई स्वीचिंग कमेटी बनाई थी जिस के चेयरमैन धनवादा के डिप्टी कमिश्नर थे और उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी थी और यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर कौन सी कार्रवाई की गई ?

क्या यह सच है कि मजदूर जो बेकार हैं उनकी मजदूरी का डेड करौंड खर्चा क्याया गया हुआ है ? अगर यह सच है तो सरकार ने मजदूरों को यह क्याया राशि दिलवाने के लिए कोई कार्रवाई की है ?

कारखाने खोले जायें और बंद हुआ है ज्यादा मजदूर आगे भूखों न मरे, इस के लिए क्या सरकार ने कोई तरकीब सोची है और अगर सोची है तो मेहरबानी करके मंत्री ज. बना दे।

SHRI CHARANJIT CHANANA: The five questions asked by the hon. Member—I may say the five parts of the one question asked by the hon. Member because he may object to it—relate to (1) that the hon. Member is very unhappy on my not being able to supply the details of the units. The hon. Member may kindly note down the names of the units. About 16 units information has come to me which is as follows:

1. Valley Refractories	1000
2. Mason Coramics	1000
3. Chirkunda Rolling Mills	Not available
4. Kamardhubi Engineering Works	2400
5. Vinod Hard Coke	100
6. Nirsa Refractories	250
7. Bajna Refractories	250
8. Barakar Engineering Works	600

9. Jharia Firebricks	500
10. Kharkhari Firebricks	600
11. Gode Engineering Works	100
12. Jamadoba Engineering Works	275
13. Leeds Refractories, Mugma	150
14. Bihar Cement Products	25
15. Modern Refractories	100
16. Sen Gupta Refractories	150

This is the information I have got from the State Government of Bihar on telephone. The only way between the time of the receipt of the call attention notice and the time I can get this information collected is through the telephone. I have also added one sentence in the statement that we are still expecting details from the Government of Bihar. We are not closing this chapter with the calling attention notice at all. The chapter is still open and we will give due attention to the whole issue.

The second question the hon. Member asked me is about the implementation of the Wage Board award and he wants the details, probably unit-wise. The unfortunate thing is that this relates to the Ministry of Labour and this does not fall in the call attention motion directly. So the information may not be available this way. My suggestion to the hon. Member is that this may be referred to the Labour Ministry.

About the screening committee of the labour, I have already referred to that; the Bihar government has taken up the question of reviving some of these units. This was in the year 1979. The committee was formed in 1979. It operated, if at all it did operate, only in that period. I have already requested the government of Bihar to do a post-mortem of this

and see what was done and what was not done. Now, in fact, in the other House the question of a committee under the chairmanship of the District Magistrate was raised. We have referred this question to them and I can appreciate the impatience of the hon. Members. But, unfortunately, the time gap has to be there between the time that we raised the query and the reply I got from Patna through Dhanbad or from Dhanbad direct.

Now the hon. Member has talked about—I will call it (d) and (e) if he objects to my calling them (4) and (5)—unemployed workers and their dues to the extent of Rs. 1.50 crores. He has told me that the factories were asked to be opened and then they probably did not open. In fact, I can only tell him that the indication is that the State government is already trying to see that the factories are opened. I have given you one instance of two factories which have already been opened and I have given the names also. In fact, the Chief Minister told me that in respect of a third factory they are trying to bring reconciliation and on that matter the management had gone to the court and that because it is *sub judice*, they could not do anything. They told me that they are already in the process of arriving at a reconciliation and the details are expected from the government of Bihar.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) . सभा-पति महोदय, मंत्री महोदय जी ने जो जवाब दिया है, सर्वप्रथम तो उन्हें इसमें प्रधान मंत्री को नहीं घसीटना चाहिए था, क्योंकि इसमें प्रधान मंत्री का कोई फंक्शन नहीं है। उन्होंने इस स्टेटमेंट में अननेसेरिरी लिख दिया है : प्रधान मंत्री ने ट्रेड यूनियन नेताओं से हुए विचार-विमर्श में श्री श्रमिकों की भूमिका के बारे में सरकार की सकारात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं समझता हूँ कि सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि वह सकारात्मक स्थिति क्या है।

सब से बड़ी बात यह है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। मैं समझता हूँ कि

[श्री राम बिलास पासवान]

यह बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 26 मार्च, 1980 को श्री शिवु सोरन ने जो अनस्टाईड क्वेश्चन नम्बर, 1699 पूछा था, उसका भाग (ए) इस प्रकार था :

“(a) Whether he is aware that the Kumardhubi Engineering Works is lying closed for the last six months subjecting its five thousand employees to extreme hardship in these days of drought and famine in Dhanbad, Bihar;

मिनिस्टर ने इसका रेप्लाई दिया : Yes, Sir मैं समझता हूँ कि इसमें यह जो लिखा है “एवाउट 23,000 एण्ड नाट 5,000”, यह मिसप्रिंट है। मंत्री महोदय इसको देख लें।

प्रश्न का भाग (बी) यह था :

“whether he is aware that a protracted negotiation took place for the takeover of the management by the Allahabad Bank to start the factory with a new Board of Directors from the public sector banks; if so, fact and details thereof;

मिनिस्टर ने इसका भी रेप्लाई दिया : Yes, Sir.

मैं बताना चाहता हूँ कि अफसर लोग कितनी गलत बातें बताते हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि उनको जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय . आपका प्रश्न बहुत अग्रहम है, लेकिन वह बहुत लम्बे प्रश्न में गुम हो जाता है और उसका उत्तर नहीं मिल पाता है।

श्री राम बिलास पासवान : मिनिस्टर साहब ने कहा कि कुमार्धुवी सब से बड़ा यूनिट है, जिसमें सब से ज्यादा वर्कर्स हैं, जो बेरोजगार हैं। लेकिन अब नवीं महोदय यह जवाब देते हैं कि सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार को आज से नहीं, 26 मार्च, 1980 से सूचना है, जो कि मिनिस्टर साहब के जवाब से प्रकट है। इसी लिए मैं उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ।

प्रश्न का भाग (डी) यह है :

“(d) Whether it is a fact that the Kumardhubi Engineering Works is

a viable engineering factory with all costly machines and it is a national loss to keep it idle;

इसके जवाब में मिनिस्टर ने कहा कि सरकार भी इस कम्पनी को आइडल नहीं रखना चाहती है।

प्रश्न का भाग (ई) इस प्रकार है .

“(e) if so, whether Government propose to take quick decision in the matter, if so, when, if not, the reasons therefor?”

इसके जवाब में मिनिस्टर ने कहा :

“(e) Yes, Sir, in the shortest possible time.

यह कुमार्धुवी कारखाना सीधे भारत सरकार की जिम्मेदारी है। उसने दिसम्बर, 1979 को इस कारखाने को अपने हाथ में ले लिया था। मार्च, 1980 में उसने कहा कि वह शार्टेस्ट पासिवल टाइम में सब जरूरी कार्यवाही करेगी। यदि अब भी वह कारखाना नहीं खुला है, तो इसके लिए कौन दोषी है? भारत सरकार दोषी है या बिहार सरकार दोषी है?

इसमें दो तरह के प्रश्न हैं। एक तो यह है कि सरकार जिस फ्रैक्टरी का प्रबन्ध नहीं कर पाती है, उसके मजदूरों में असंतोष होता है कि हमसे डेली वेजिज पर काम कराया जाता है, ठीक मजदूरी नहीं दी जाती है। वहां दस हजार आदमी काम करते हैं, उनमें से एक हजार को परमिंट किया जाता है और नौ हजार को ठेकेदार के मुह में शॉक दिया जाता है, वह पैसा दे या न दे। अगर वे लोग आवाज उठाते हैं, तो धमकी दी जाती है कि हम फ्रैक्टरी को बन्द कर देंगे।

इसमें एक तो मैनेजमेंट की ** है और दूसरे सरकार की** है, जिसके लिए सरकार उत्तरदायी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट की** बारे में मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं। छः महीने से जो फ्रैक्टरी बन्द है, उसके लिए वजूद क्या करने जा रहे हैं? मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में प्रधान मंत्री द्वारा सरकार की सकारात्मक स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री ने सरकार की क्या नीति स्पष्ट की है।

श्री भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने** शब्द का प्रयोग किया है। मुझे इस पर आपत्ति है। इसके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री राम विलास पासवान : मैंने कहा है :
“मनेजमेंट की ** ” । आप इसको देख लीजिए ।
अगर यह अनपार्लियामेंटरी है, तो हटा दीजिए ।

श्री भगवान देव : उन्होंने कहा है : सरकार
की ** । मुझे इस पर आपत्ति है । आप इस बारे
में निर्णय दीजिए ।

सभापति महोदय : यह पार्लियामेंटरी है ।
या अनपार्लियामेंटरी है, मैं अभी इस पर अपना
विचार नहीं देना चाहता हूँ । लेकिन मेरी दृष्टि से
जहाँ तक हो सके, इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल नहीं
करने चाहिए । लेकिन मैं देखूंगा कि ** या
** अनपार्लियामेंटरी है या नहीं, अगर है, तो वह
रिकार्ड में से निकाल दिया जायेगा ।

PROF. MADHU DANDAVATE
(Rajapur): Once in the House of
Commons, Winston Churchill, while
replying on Government policies, told
Mr. Attlee, your policies are full of
stupidity and hypocrisy. The ruling
given was, as long as it is related to
Finance it was not unparliamentary.

श्री भगवान देव : मूर्खता की बात अलग है,
यह ** का सवाल है । अगर आप इसे इस्तेमाल करते
हैं तो आप को भी सुनना पड़ेगा, आप तैयार रहिए
सुनने के लिए ।

सभापति महोदय : यह मुझे अभी मिला है
कि विदेशी सरकार को ** कहना और धोखेबाज
कहना अनपार्लियामेंटरी माना गया है । तो हमारी
सरकार को कहना, भी अनपार्लियामेंटरी माना जायेगा,
यह मेरी रूखल है और यह रेकॉर्ड से निकाल दिया
जाय । (व्यवधान) ...

SHRI CHARANJIT CHANANA:
I appreciate the ignorance of the hon.
Member presuming that the hon.
Member reads the daily newspapers.
But even without this, I would only
like to inform the House including
the hon. Member that Government,
under directive from hon. Prime
Minister gives highest importance to
the interest of workers. There is no
deviation in this at all.

Secondly, the hon. Member made a
contradiction in his statement itself.
He said, I have said a wrong thing. I
would like to read out what I said. I
said:

**Expunged as ordered by the Chair.

“The Ministry of Industry has not
received any written report from
the State Govt. of Bihar, regarding
the closure of 45 industrial units in
the coalfield area of Dhanbad lead-
ing to unemployment of more than
10,000 workers.”

Unfortunately, the hon. Member.
(Interruptions)

श्री राम विलास पासवान : मार्च में आप ने
जवाब कैसे दिया था ? (व्यवधान)
अध्यक्ष महोदय, उनका क्वेश्चन नहीं है,
उनको कोई अधिकार नहीं है पूछने का
(व्यवधान)

श्री आमिफ मोहम्मद खां : जब मंत्री महोदय
बोल रहे हैं तो .. (व्यवधान) ...

श्री राम विलास पासवान : आप को अकल
है या नहीं है ? (व्यवधान) ... ये जवाब दे रहे
हैं ? मैंने इन को किलान दियाई यह कोई
मजाक है ? यह 26 मार्च, का इन का जवाब दिया
हुआ है और यह कहते हैं कि टेलीफोन पर मुझे मेसेज
मिला है । कोई मजाक की चीज है ?
.. (व्यवधान)

श्री आरिब मोहम्मद खां : श्रीमन्, प्रश्न चाहे
जिस माननीय सदस्य का हो .. (व्यवधान) ...

श्री राम विलास पासवान : कार्लिग अटेंशन
में उस माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई नहीं
बोल सकता । यह कार्लिग अटेंशन की मर्यादा
है । ... (व्यवधान)

श्री आमिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मेरा आप
से निवेदन है कि प्रश्न चाहे जिस सदस्य का हो जब
माननीय मंत्री उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं
तो यह हमारा अधिकार है सदस्य की हैसियत से
कि हम शासियंत्रक भागेल में उस जवाब को सुन
सकें । श्री पासवान का यह कहना कि यह प्रश्न
आप का नहीं है, आप को अकल है या नहीं है, अगर
सदन इस तरह चलेगा, चन्द मुट्ठी भर लोग अपनी
इच्छा के अनुसार गलत तरीके से .. (व्यवधान) ...

इसलिए श्रीमन्, आप हमारे हितों के रक्षक
हैं, कस्टोडियन हैं, आप हमारे हितों की रक्षा कीजिए,
हमारे अधिकारों को बचाइए । ये लोग हमारे
अधिकारों को लूटना चाहते हैं ।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I would request
all the Hon. Members to be calm and
quiet. When a question is asked and
answer is given by the hon. Minister,

[Mr. Chairman]

every Member is interested in hearing the answer and every Member is entitled to get up and ask that he should be allowed to hear the answer. There is nothing wrong in the Hon'ble Members getting up and saying please do not interrupt.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: At the same time, I would request all the Members not to prolong this matter. We are interested in the answer. So, let us hear the answer.

(Interruptions)

श्री राम बिन्दाश पासवान : सभापति जी, मुझे भी आप एक मिनट का समय दीजिए ।

मेरे तीन रिलेवेंट प्रश्न हैं । प्रधान मंत्री का प्रश्न तो इसमें उत्तर नहीं होता था लेकिन मंत्री जी ने प्रधान मंत्री का नाम लिया है "प्रधान मंत्री ने ट्रेड यूनियन नेपाओं सिट्टुए विचार विमर्श में भी श्रमिकों को श्रमिका के बारे में सरकार की भयावह स्थिति स्पष्ट कर दी है ।" इसलिए यह हाउस एंडाइटिड है यह जानने के लिए कि प्रधान मंत्री ने क्या नीति घोषित कर दी है —इसका उत्तर प्रधान मंत्री सहीदाय दें ।

दूसरी बात यह है कि यह सारा जवाब नहीं है बल्कि जानना सहाय का ही 20 मिनट का प्रयास है । टेलीफोन के आधार पर तो जवाब दिया नहीं है । अब आपने लिखित जवाब दिया है तब आप कैसे कहते हैं कि टेलीफोन के आधार पर सूचना मिल रही है ।

सभापति जी, यह साधारण सी बात है कि यह बिहार का मामला है, पण्डे जी यहां पर बैठे हैं, इन लोगों को इसकी जानकारी है फिर ये लोग क्यों बोल रहे हैं ?

सभापति महोदय: मंत्री महोदय किस प्रकार से जवाब दें, इसलिए न आप कह सकते हैं और न मैं कह सकता हूँ वे अपनी पद्धति से जवाब देंगे । कालिग अर्जेंट: अर्जेंट मीटर के लिए होता है और इसकी इंफार्मेशन अर्जेंटली संगाई जानी है । एक छोटी सी इंफार्मेशन भी इतनी बड़ी हो सकती है कि वह पूरे प्रदेश से संबन्ध रखती हो और 24 घण्टे में आप उसका उत्तर नहीं पा सकते हैं । इसलिए जैसा मैंने पहले कहा है, हम बजट डिस्कस कर रहे हैं, अगर यह इतनी अहम बात है तो इसको उस अवसर पर उठाया जा सकता है और उसका पूरा जवाब भी

आपको मिल सकता है । मैं आप से वित्ती करूंगा, आपके इण्टेस्ट में ताकि आपके प्रश्न का उत्तर मिल सके, आप चुप करके शांति रखिए ।

SHRI CHARANJIT CHANANA: The hon. Member must also exercise his right to listen to the answer. He wants only to exercise his right of putting questions. I would request the hon. Member kindly to listen to what I say. I said that your query refers to 45 units out of which I have got information on about 16 units. That includes this particular unit also. I am coming to that question. Kindly have patience and listen to me. I have mentioned in my Statement in reply to the Calling Attention Notice that about 45 units have been closed down. We took up this matter with the Government of Bihar and asked them as to how many units had been closed down. They said that 16 units had been closed down. I wrote the names of the 16 units, which does not include that particular unit. Your Calling Attention Notice does not concern closure of only one unit. I replied to you about that particular unit also. I have already told you about the strength of those 16 units unitwise.

Your next question is about my reply in Parliament relating to Kumar Dhuli Engineering Works. I will reply to that. If anything is left out, you can just put a question instead of interrupting me. You can do that. There is no objection at all. If you read the reply, you would know that the working of this particular unit was being examined in your days also. We have now started examining on the 18th March and as you have rightly read out the words "shortest possible time"—if you understand it very well—is a related term. But the government's intention is always to make the "shortest possible time" still 'shortest'. As far as the information given to me by Allahabad Bank is concerned, it is not from the State Government of Bihar, but this information was available here with the

financial institutions. We are examining the whole issue and we are going to treat this issue as important. As I have already submitted in this House, we would do our best. We would do our best wherever the unit has been mismanaged; more so in such cases where misappropriation of public funds is involved or is alleged to have been involved. We are taking necessary action in this matter and I have not refused to give any information available with us. But if you have any other question relating to any aspect connected with these 45 units including this particular unit you refer it to me and I will collect the required data from whatever source it is required to be and refer it to the Ministry to which it pertains.

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मेरा प्रश्न था कि प्रधान मंत्री ने श्रमिक नेताओं से क्या बात की है और मैनेजमेंट के द्वारा जो बात की जा रही है, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। मैनेजमेंट के द्वारा जो श्रमिकों का हैरास किया जा रहा है उसके लिए सरकार क्या कर रही है और प्राइम मिनिस्टर ने इस सम्बन्ध में क्या नीति की घोषणा की है ?

MR. CHAIRMAN: He has invited you to his chamber over a cup of tea.

श्री राम विलास पासवान : प्रधान मंत्री ने ट्रेड यूनियनों के नेताओं से हुए विचार विमर्श में श्रमिकों के बारे में सरकार की सकारात्मक स्थिति स्पष्ट कर दी है। क्या वह स्थिति सदन नहीं जान सकता है ?

MR. CHAIRMAN: This does not arise out of this calling attention.

श्री चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा : सभापति महोदय, हमें एक सूचना चाहिए कि क्या विहार सरकार के यहाँ से इन्फार्मेशन आ जाने के बाद मंत्री महोदय सदन में स्टेटमेंट देंगे, जैसा उन्होंने कहा है ?

15.47 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE:
DISAPPROVAL OF ESSENTIAL
SERVICES MAINTENANCE
(ASSAM) ORDINANCE, 1980

AND

ESSENTIAL SERVICES MAINTEN-
ANCE (ASSAM) BILL,

AND

STATUTORY RESOLUTION RE.
APPROVAL OF NOTIFICATION
ISSUED BY ASSAM GOVERNMENT
DECLARING CERTAIN SERVICES
AS ESSENTIAL

MR. CHAIRMAN: The House will now take up items Nos. 12, 13 and 14 for discussion together.

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): Mr. Chairman, Sir, on a point of order. My point of order relates to item No. 14, which you have clubbed with items Nos. 12 and 13. Item No. 14 is a Statutory Resolution to be moved by Shri Yogendra Makwana. It reads as follows:

“That in pursuance of sub-section (2) of section 2 of the Essential Services Maintenance (Assam) Ordinance, 1980 (No. 2 of 1980), this House approves the issue of Government of Assam.....”

The section under which this notification is to be laid before the House reads as follows—I am reading from the Ordinance, not from the Bill:—

“Every notification issued under sub-clause 14 of clause (b) of sub-section (1) shall be laid before each House of Parliament immediately after it is made if it is in session and on the first day of the commencement of the next session of the House if it is not in session and shall cease to operate at the expiration of 40 days from the day of its being laid.....etc.”